



क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

संदर्भ संख्या : 1278/NGT OA-989/19/2020

दिनांक 06/X/2020

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com


Sub: Action taken report in compliance of order dated 14.08.2020 in O.A. No 989/2019 Ved Prakash Agarwal Vs Municipal Commissioner, Ghaziabad

Respected Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 14.08.2020 in O.A. No 989/2019 Ved Prakash Agarwal Vs Municipal Commissioner, Ghaziabad the action taken report on behalf of U.P. Pollution Control Board is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Action Taken report.

Yours Sincerely


(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

- 1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
- 3- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 4- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.


Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

COMPLIANCE REPORT
IN THE MATTER OF O.A. No. 989/2019
TITLED

Ved Prakash Agarwal Vs Municipal Commissioner, Ghaziabad
(As Per Hon'ble National Green Tribunal's Order Dated 14.08.2020)

1. Background

The Hon'ble National Green Tribunal has taken cognizance of an application in which primary grievance was against operation of dairy farms in residential colony of ChiranjivVihar, Ghaziabad. According to the applicant, operation of such dairies is resulting in degradation of environment and causing harm to the public health. There are no safeguards for solid and liquid waste management on account of which there is pollution of air, water and soil.

In view of said complaint, Hon'ble Tribunal had constituted a Joint Committee of CPCB, Uttar Pradesh State PCB, District Magistrate, Ghaziabad and the Municipal Commissioner, Ghaziabad and sought factual and action taken report. The report filed was perused by Hon'ble Tribunal on 24.01.2020 and directed that further action taken report be filed by Ghaziabad Nagar Nigam and State Board. Further, in its order dated 14.08.2020, Hon'ble Tribunal has passed following orders:

"We are of the view that the State Pollution Control Board needs to take action in view of patent violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986 and order of this Tribunal dated 20.05.2020 in O.A. 46/2018, NugehalliJayasimha v. Government of NCT of Delhi."

2. Compliance and Action Taken Report

In compliance to the above order passed by Hon'ble Tribunal, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad had sent a letter to land owning agencies viz a viz, Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad Nagar Nigam, U.P. AawaasVikasParishad and Executive Officers of all concerning Nagar PalikaParishads/Panchayats for furnishing list of dairies in their respective areas of jurisdiction, however, report regarding same could not be provided, copy of the said letter is annexed as *Annexure I*.

Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow has uploaded 'Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas' on its website and a public notice informing about the said guidelines was issued in news paper on 21.07.2020. Thereafter, Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad has also issued a public notice in this regard published in a National daily on 04.09.2020, copy of same is annexed as *Annexure II*.

In order to verify the status of compliance of dairy farms in ChiranjivVihar, Ghaziabad, the site was inspected on 06.10.2020. 14 dairy farms were found operational in the area, inspection report is annexed as *Annexure III* of the report. All operational dairy farms are classified under Category I as per Central Pollution Control Board Guidelines, as number of animals are less than 25. List of Dairy Farm is as below:-

S. No.	Name & Address	No. of Animals
1.	Shri Indra Mohan Sharma, A-3, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	13
2.	Shri Jitendra Nagar, 392, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	14
3.	Shri Ravindra Putra Shri Jagan Singh, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	15
4.	Shri Hari Kishan, A-1,2,3, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	22
5.	Shri Deepak Chaudhary, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	7
6.	Shri Kiranpal Singh, Sector-3, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad	7
7.	Shri Brahm Singh, Plot Nambi-5, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	10
8.	Shri Premveer Singh, B-3, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	12
9.	Shri Run Singh, B-1, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	10
10.	Shri Sundar Yadav, C-4, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	10
11.	Shri Dinesh Kumar, Plot No-447, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	11
12.	Shri Gyanveer, Plot No-445, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	10
13.	Shri Jaipal, Plot No-445, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	7
14.	Shri Asharam, Sector-2, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad.	7

In view of non-compliances observed, recommendation to initiate action under relevant sections of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and imposition of Environmental Compensation has been proposed by Regional Office, Ghaziabad, copy of same is annexed as *Annexure IV*.

The factual and action taken report is hereby put up for your perusal and necessary action please.



(Anshul Sharma)
Junior Engineer
Regional Office, UPPCB
Ghaziabad



(B.K. Singh)
Assistant Environmental Engineer
Regional Office, UPPCB
Ghaziabad

Regional Officer





क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 298/NGT-95/OA No-989/19/2020

दिनांक 27/08/2020

सेवा में,

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. उपायुक्त, आवास विकास परिषद, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, गाजियाबाद।

Mai!

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 989/2019 वेद प्रकाश अग्रवाल बनाम नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक 14.08.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 989/2019 वेद प्रकाश अग्रवाल बनाम नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक 14.08.2020 में निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....3. Accordingly, further report has been filed by Municipal Corporation, Ghaziabad inter-alia stating that the matter should be dealt with by the Development Authorities (the Awas Vikas Parishad).

4. We are of the view that the State Pollution Control Board needs to take action in view of patent violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environment (Protection) Act, 1986 and order of this Tribunal dated 20.05.2020 in O.A. 46/2018, Nuggehalli Jayasimha v. Government of NCT of Delhi.

5. Let action taken report be filed before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डेरियों का निरीक्षण कर अद्यतन आख्या मा० अधिकरण में दाखिल की जानी है। डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाइन की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 631/NGT-95/OA No-989/19/2020 दिनांक 10.08.2020 द्वारा आपको प्रेषित की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत स्थित आवासीय क्षेत्रों/कर्मिंशियल क्षेत्रों स्थित डेयरियों की सूचना प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे आख्या मा० एन०जी०टी० में ससमय प्रस्तुत की जा सकें। अग्रेतर अवगत कराना है कि वाद की अग्रिम सुनवाई की तिथि दिनांक 08.10.2020 नियत है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आई.एन.एस.-2, सेक्टर-16 वसुन्धरा,

दूरभाष : 0120-4160108

गाजियाबाद-201012

डेयरी फार्म/गौशालाओं का संचालन करने वाले व्यक्तियों पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टि से आवश्यक सूचना/निर्देश

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46/2018 नुगेहल्ली जयसिन्हा बनाम गर्वनमेन्ट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 एवं दिनांक 20.05.2020 के अनुपालन में डेयरी फार्म/गौशालाओं को पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई है, जो बोर्ड की वेबसाइट (www.uppcb.com) पर उपलब्ध है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 10.07.2020 के अनुपालन में समस्त डेयरी फार्म (15 या उससे अधिक दुधारु गाय/भैस) एवं गौशालाओं के संचालकों को निर्देश दिये जाते हैं कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त करने हेतु उक्त गाइडलाइन के अनुसार डेयरी फार्म/गौशालाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

क्षेत्रीय अधिकारी
गाजियाबाद



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: .../263.../सा०पत्रा०-270/2020

दिनांक 06/10/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46/2018 तथा ओ०ए० संख्या 989/2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में चिरंजीव विहार, सेक्टर-2, सेक्टर-3, गाजियाबाद में स्थित गौशाला/डैयरी फार्म के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 46/2018 तथा 989/2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा चिरंजीव विहार, सेक्टर-2, सेक्टर-3, गाजियाबाद क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय कुल 14 डैयरी फार्म संचालित पाये गये। जिनकी सूची निम्नवत है:-

क्रम संख्या

डैयरी का नाम एवं पता

1. श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
2. श्री जितेन्द्र नागर, 392, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
3. श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
4. श्री हरि किशन, ए-1,2,3, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
5. श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
6. श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
7. श्री ब्रह्म सिंह, प्लॉट नं बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
8. श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
9. श्री रन सिंह, बी-1, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
10. श्री सुन्दर यादव, सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
11. श्री दिनेश कुमार, प्लॉट नं-447, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
12. श्री ग्यानवीर, प्लॉट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
13. श्री जयपाल, प्लॉट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।
14. श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।

संलग्न आख्या से स्पष्ट है कि उक्त वर्णित समस्त 14 डैयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गई गाइडलाइन में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः समस्त 14 डैयरी फार्म के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108


मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ 226010

9/10/20

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 तथा ओ0ए0 संख्या 989/2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में चिरंजीव विहार, सेक्टर-2, सेक्टर-3, गाजियाबाद में स्थित गौशाला/डैयरी फार्म की निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 46/2018 तथा 989/2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा चिरंजीव विहार, सेक्टर-2, सेक्टर-3, गाजियाबाद क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय कुल 14 डैयरी फार्म संचालित पाये गये। जिनकी विस्तृत आख्या निम्नवत है:-

1. **श्री इन्द्र कुमार शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री इन्द्र मोहन शर्मा, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 13 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



2. **श्री जितेन्द्र नागर, 392, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री असमित, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 14 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



3. **श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री जगन सिंह, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 15 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



4. श्री हरि किशन, ए-1,2,3, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री हरि किशन, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 22 भैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



5. श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री हर्ष, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 07 भैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



6. श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं

द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री किरनपाल सिंह, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 07 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



7. श्री ब्रह्म सिंह, प्लॉट नं० बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सुरवीर सिंह, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 10 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



8. श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री दीपक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 12 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



9. श्री रन सिंह, बी-1, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सोनू प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 10 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की

अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



10. **श्री सुन्दर यादव, सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सुन्दर यादव प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 10 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



11. **श्री दिनेश कुमार, प्लॉट नं-447, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री दिनेश कुमार प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 11 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



12. **श्री ग्यानवीर, प्लॉट नं-445,, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री ग्यानवीर प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 10 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



13. श्री जयपाल, प्लॉट नं-445,, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री जयपाल प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 07 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-




14. श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री जितेन्द्र प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय इकाई में 07 बैस/गाय पायी गयी। इकाई में बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के पम्प स्थापित पाया गया। इकाई में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त वर्णित समस्त 14 डैयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गई गाइडलाइन में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः समस्त 14 डैयरी फार्म के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1264 / (न) ५६१०-२७०/२०२०

दिनांक ०६/१०/२०२०

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-१,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

mail

विषय: श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-३, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-३, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक ०७.११.२०१९ को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक ०६.१०.२०२० को किया गया। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या ४६/२०१८ के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक १०.०७.२०२० के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डेयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० ५०००/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक ०४.०९.२०२० समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक ०६.१०.२०२० कुल ३३ दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c [Handwritten initials]

श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री हर्ष, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: .../205/.../पत्रा. 270/2020

दिनांक 06/10/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

Ma'

विषय: श्री हरि किशन, ए-1,2,3, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री हरि किशन, ए-1,2,3, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

9/10/20

श्री हरि किशन, ए-1,2,3, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री हरि किशन, ए-1,2,3, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री हरि किशन, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।


उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


06/10/2020
(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी




क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1266/2019-पदा 270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
o/c rogh

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अघोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री जगन सिंह, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-




मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.rippcb.com, e-mail: roghaziabad@rippcb.com

पत्रांक: 1267/10-11-270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री जितेन्द्र नागर, 392, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री जितेन्द्र नागर, 392, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
9/10/20

श्री जितेन्द्र नागर, 392, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री जितेन्द्र नागर, 392, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री असमित, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी




क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1268/157/PCB-270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/11/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
%c [Signature]

श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री इन्द्र कुमार शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री इन्द्र मोहन शर्मा, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डेयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1469/अ.पत्रा-270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया।


मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डेयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।
संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
०/०

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ 226010

श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री जितेन्द्र प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-





मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-


EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


06/10/2020
(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1270/स.सं.क-270/2020
सेवा में,

दिनांक 06.10.2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री रन सिंह, बी-1, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री रन सिंह, बी-1, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री रन सिंह, बी-1, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री रन सिंह, बी-1, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सोनू प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-





मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी




क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1271 / स्त. फा. 278/2020

दिनांक 06/10/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री जयपाल, प्लॉट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री जयपाल, प्लॉट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।



उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी


क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री जयपाल, प्लाट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री जयपाल, प्लाट नं-445,, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री जयपाल प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय—उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1222/सा फा-270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री ग्यानवीर, प्लाट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री ग्यानवीर, प्लाट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।


उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी


क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री ग्यानवीर, प्लाट नं-445, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री ग्यानवीर, प्लाट नं-445,, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री ग्यानवीर प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-





मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक:1.273.....1.4. पत्रा - 278/2020

दिनांक 06/10/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री दिनेश कुमार, प्लॉट नं-447, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डेयरी फार्म श्री दिनेश कुमार, प्लॉट नं-447, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डेयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डेयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डेयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डेयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c [Signature]

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री दिनेश कुमार, प्लाट नं-447, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री दिनेश कुमार, प्लाट नं-447, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री दिनेश कुमार प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाइन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाइन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाइन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ₹0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1274/191-478-277/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री सुन्दर यादव, सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री सुन्दर यादव, सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
०८/१०/२०

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ 226010

श्री सुन्दर यादव, सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री सुन्दर यादव, सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सुन्दर यादव प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-




मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1295/सा.पत्रा-270/2020

दिनांक 06/10/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।


उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।


भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी


क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री दीपक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी




क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

पत्रांक: 1278/र.प्र. 481-270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

Mail

विषय: श्री ब्रह्म सिंह, प्लॉट नं बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री ब्रह्म सिंह, प्लॉट नं बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।


भवदीय,


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
o/c R/C

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री ब्रह्म सिंह, प्लाट नं बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री ब्रह्म सिंह, प्लाट नं बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सुरवीर सिंह, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


06/10/2020
(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppqb.com, e-mail: roghaziabad@uppqb.com

पत्रांक:/277/सफा-270/2020
सेवा में,

दिनांक 06/10/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

Mail

विषय: श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी की गयी है, तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
o/c 10/20

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद मे संचालित डैयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना आख्या।

कृपया उपरोक्त डैयरी फार्म श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.11.2019 को किया गया था तथा अघोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री किरनपाल सिंह, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डैयरी फार्म कार्यरत पाया गया। फोटोग्राफ निम्नवत है:-



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 46/2018 के अनुपालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली अपने पत्र B29016/ROGW/IPC-VI/2020-21 दिनांक 10.07.2020 के माध्यम से डैयरी फार्म एवं गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु गाइडलाईन जारी की गयी है, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2020 को अमर उजाला में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है एवं गाइडलाईन को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को गाइडलाईन के अनुरूप संचालित नहीं पायी गयी तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण का अनुपालन नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय गाइडलाईन की प्रति सम्बन्धित को प्राप्त करायी गयी।

उक्त डैयरी फार्म/गौशाला उद्योग की श्रेणी आच्छादित नहीं है। अतः डैयरी फार्म/गौशाला के विरुद्ध न्यूनतम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 5000/- प्रतिदिन का आधार मानते हुए दिनांक 04.09.2020 समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.10.2020 कुल 33 दिन की गणना निम्नानुसार है:-

EC	33X5000=1,65,000/- (One Lakhs Sixty Five Thousand only)
----	---

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी
